# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 2057 / 2007 / जयपुर

मैसर्स विनायक एग्रोटेक लि०, ई—138, रोड नं. 12, वीकेआईए, जयपुर। .....अपीलार्थी.

बनाम्

वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त-द्वितीय, जयपुर।

.....प्रत्यर्थी

## <u>एकलपीठ</u> श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री विवेक सिंघल, अभिभाषक ।

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री रामकरण सिंह, उप–राजकीय अभिभाषक।

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 26.04.2016

## <u> निर्णय</u>

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) चतुर्थ, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 219/सीएसटी/अपील्स–चतुर्थ/2006–07/ जेपीई में पारित अपीलीय आदेश दिनांक 28.04.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 29 के अन्तर्गत वर्ष 2002–03 हेतु पारित आदेश दिनांक 15.06.2004 के जरिये कायम मांग राशि रूपये 10,87,214/– में से अपीलीय अधिकारी द्वारा कायम रखी गई निम्न मांग राशि को कर बोर्ड के समक्ष विवादित कर अपील प्रस्तुत की गई।

28,910 / -	
31,654 /	
1,48,015 / -	3,43,849 / -
90,000 /	
	90,000 /

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

 अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से अभिभाषक श्री विवेक सिंघल एवं राजस्व की ओर से उप राजकीय अभिभाषक श्री रामकरण सिंह उपस्थित।
 अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कर निर्धारण आदेश दिनांक 15.06.2004 में आरोपित की गई.

लगातार......2

120

अपील संख्या 2057 / 2007 / जयपुर

समस्त राशियों पर, सिवाय एक बिन्दु पर जिसका विवेचन आगे किया जायेगा, पर बल नहीं दिया। अपीलार्थी का विवादित मुख्य बिन्दू जिस पर उनकी अपील अपीलीय अधिकारी द्वारा खारिज की गई है, पर बहस करते हुए तर्क दिया गया कि आलौच्य अवधि में अंतरप्रांतीय विकय 3,30,73,271/– वनस्पति घी की दर्शायी है जिस पर राज्य सरकार की विज्ञप्ति कमांक एफ 4(72) एफडी/ग्रुप–4/81–18 दिनांक 06.05.1986 सहपठित अधिसूचना दिनांक 16.04.2002 के तहत रूपये 1,48,015/– का पार्शियल एक्जम्पशन चाहा है किन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने दिनांक 16.04.2002 की विज्ञप्ति का हवाला देकर पार्शियल एक्जम्पशन अस्वीकार कर दिया है एवं अपीलीय अधिकारी ने बिना समुचित कारणों तथा गलत निर्वचन के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी के आदेश की पुष्टि की है। अतः पार्शियल एक्जेम्पशन अधिसूचना के अनुरूप दिये जाने की प्रार्थना की गई। इसके समर्थन में उन्होंने निम्ननांकित न्यायिक उद्धरण मय संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत किये है :–

- 2 -

- 1. M/s G.P. Ceramics Pvt. Ltd. Vs. Commissioner, Trade Tax, U.P. 2009-(019)-VST-0284-SC
- 2. Commissioner of Customs, (Prev.) Gujarat, Vs. M/s Reliance Petroleum Ltd. 2008-(227)-ELT-0003-SC
  "The purpose of grant of exemption is different. The object for grant of notification shall be considered in a broad based manner. The wordings used thereing have to be given its natural meaning."
- 3. Commissioner of Income Tax Vs. George Williamson (Assam) Ltd. 2004-(265)-ITR-0626-GAU

"The assesses can very well manage their tax affairs so that the tax attracted in the transaction is less and would not fall outside the four comers of the law applicable at the relevant time. The tax management is permissible,....."

- 4. Naba Bharat Ferro Alloys Ltd. Vs. State of Orissa 2010-(031)-VST-0319-ORI
- State of Haryana Vs. Haryana Organics 2009-(025)-VST-0616-P&H

"one has to look merely at what is clearly said....."

"....If the legislature has failed to clarify tis meaning by the use of appropriate language, the benefit thereof must go to the taxpayer....."

6. V.M. Salgaocar and Bros. Pvt. Ltd Vs. Commissioner of Income Tax 2000-(119)-STC-0483-SC, 2000-(243)-ITR-0383-SC

"It is also a cardinal rule of construction of a fiscal statute that, even if two views are possible, the view which is favourable to the assessee must be accepted while construing the provisions of a taxing statute.."

N

लगातार......3

л

1000

 Collector of Central Excise Vs. Parle Exports (P.) Ltd. 1989-(075)-STC-0105-SC

- 3 -

"When two views of a notification are possible, it should be construed in favour of the subject as notification is part of a fiscal enactment.."

इसके अलावा उन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा रिवीजन संख्या 67 / 06 में दिये गये निर्णय दिनांक 22.08.2013 का हवाला दिया एवं कथन किया कि उक्त निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुरूप जहां पर विधायिका के द्वारा उपबंधित प्रावधान अस्पष्ट है वहां पर व्यवहारी को लाभ दिया जाना चाहिये। उपरोक्त विवेचन के आधार पर उन्होंने अधिसूचना दिनांक 6.5.1986 का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

5. विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि विज्ञप्ति दिनांक 16.04.2002 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार दिनांक 06.05.1986 की विज्ञप्ति के तहत इस प्रकरण में पार्शियल एक्जम्पशन देय नहीं है। अतः उन्होंने प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्ष की बहस एवं प्रस्तुत रिकार्ड के तथ्यों पर मनन किया गया, प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। सर्वप्रथम अधिसूचना दिनांक 06.05.1986 तथा दिनांक 16.04.2002 का अध्ययन करना समीचीन होगा जो निम्न प्रकार से है :--

अधिसूचना संख्या F.4(72)FD Gr./IV/81-18 dated 6.5.1986

S.O. 23 :- In exercise of the powers conferred by S.8 (5) CST Act, 1956, the State Govt. [.2.] in supersession of the FD Notfn No.F.4(72)FD Gr./IV/81 dated 3.12.1985 [S.No. 584], hereby directs that, with immediate effect, any dealer, having his place of business and manufacturing goods in the State of Rajasthan, may claim partial exemption from the tax payable in respect of the sales by him of such goods in the course of inter-State trade or commerce by way of reduction at the rate of 50% of the tax so payable [on increased sales upto 50% and at the rate of 75% of the tax so payable on increased sales made over and above the aforesaid 50%], in the manner and subject to the conditions as follows :-

(1)- Such reduction of tax shall be allowed to a dealer only after and in respect of the increase which is effected in the percentage of the quantum of goods sold in the course of inter-State trade or commerce out of the total quantum of goods sold within the State and in the course of inter-State or commerce and dispatched to Head Office, Branch Office, Depot or agent outside the State for sale outside the State, during any accounting year as against such percentage during the accounting year 1984-85.

how

लगातार.....4

9. .

### अपील संख्या 2057 / 2007 / जयपुर

(2)- In the case of a dealer who commenced the manufacture of goods in the State of Rajasthan [on or after 1-1-1985], the average of the aforesaid percentage in respect of the other manufacturers in the State in the relevant industry during the accounting year 1984-85, calculated and determined by the assessing authority with the approval of the Commissioner, shall be deemed to be the percentage in respect of such dealer for the accounting year 1984-85;

- 4 -

(3)- This increase effected in the percentage, as referred to in clause (1) above in respect of the sales in the course of inter-State trade or commerce, to be considered shall be limited to the extent of the decrease in the percentage in respect of the dispatch of goods to Head Office, Branch Office, Depot or agent outside the State for sale outside the State, during the relevant accounting year 1984-85;

(4)- No claim for such reduction of tax shall be allowed in respect of levy –cement.

Note:- Claim for partial exemption under this Notfn dated 6-5-1986 [S.No. 625] shall not be made and allowed in respect of the inter-State sales of levy cement, and of other cement made in accordance with S. No. 928 dated 7-3-1994, and also of the following goods when the sales are made and CST paid thereon in accordance with the notifications mentioned against each :-

- (a) -All edible oils (excluding hydrogenated oils, palm oil whether refined or not and refined coconut oil): S.No. 649 dated 26-12-1986, S.No. 793 dated 17-4-1990, pub. 18-4-1990. S.No. 934 dated 31.03.1994
- (b) -Solvent extracted edible oil: S.No. 650 dated 26-12-1986 and 934 dated 31-03-1994
- (c) -Polyester filament yarn and nylon filament yarn:S. No. 741 dated 2.03.1998
- (d) -Polymer chips and polypropylene filament yarn: S.No. 741 dated 2-3-1998 w.e.f. 13-9-1989;
- (e) -Polyester staple fibre and acrylic fibre: S.No. 742 dated 2-3-1989;
- (f) -All kinds of yarn or waste there of made from man- made fibre including spun and blended yarn but excluding polyester filament, nylon filament and polyprophlene filament yard: S.No. 781 dated 12-10-1989.
- (g) (1)-Stainless steel blooms, rounds, wire rods, squares, strip sheets, and (2) Hot rolled and cold rolled coils, [mis-rolls], slabs, plates and end cuttings thereof : S. No. 867 dated 19-12-1991.
- (h) -Cement: S.No. 1301 dated 21-1-2000

1

. ب

#### अपील संख्या 2057 / 2007 / जयपूर

- (i) -A.C. Pressure pipes: S.No. 1335 dated 30-3-2000
- (j) -Tyres and tubes of all types of motor vehicles sold to State Road Transport Corporations of various States: S.No.1436 dated 29-3-2001
- (k) -Leaf springs and loose leaves for springs sold to State Road Transport Corporations of various States and Indian Railways: S.No. 1563 dated 22-3-2002
- (l) -Hydrogenated vegetable oil including vanaspati and margarine manufactured from edible oil; S.No. 1605 dated 16-4-2002."

तथा प्रासंगिक अधिसूचना दिनांक 16.04.2002 का अंकन निम्न प्रकार से है :—

(अपीलीय अधिकारी द्वारा सम्भवतः दृष्टीभ्रम से अधिसूचना क्रमांक 18 दिनांक 16.04.2002 अंकित कर दी गई है।)

#### S.No. 1599: F.4 (30) FD/Tax Div/2002-24 dated 16.4.2002

- 5 -

S.O.31:- In exercise powers conferred by S.15, RST Act, 1994, and S.8(5), CST Act 1956, the State Govt.[.1.] hereby, with immediate effect, allows a dealer, who manufactures hydrogenated vegetable oil including vansapati and maragarine from edible oil in the State of Rajasthan for sale by him of such good within the State or in the course of inter-state trade and commerce, to claim exemption by way of set off from tax payable by him in respect of his turnover of such hydrogenated vegetable oil including vanaspati and margarine sold within the State or in the course of inter-state trade or cmmerec, to the extent in the manner and subject to the conditions as follows:-

(1) That such exemption shall be allowed only to the extent of Entry tax paid under the Rajasthan Tax on Entry Goods into Local Areas Act, 1999, in respect of edible oil.

(2) That such edible oil is utilized by him as raw material in the manufacture of hydrogenated vegetable oil including vanaspati and margarine within the State;

(3) That such exemption shall be allowed only in respect of the hydrogenated vegetable oiil including vanaspati and margarine so manufactured and sold within the State or in the course of inter-State/trade or commerce;

(4) That the dealer shall prove the actual amount of tax paid under the Rajasthan tax on Entry of Goods into Local Areas Act, 1999'

लगातार......6

(5) That the dealer claiming benefit under this notfn shall not be entitled to claim benefit of the notfn No.F.4(72)FDGr.IV/81-18 dated 6.5.1986 and

6 —

(6) That no refund of the paid under the Rajasthan Tax on Entry of Goods into Local Areas Act, 1999, in respect of edible oil shall be available under this notification.

उपरोक्त दोनों अधिसूचनाओं के प्रथम दृष्टया अवलोकन से ही यह तथ्य सुस्थापित है कि विद्वान अभिभाषक के तर्क विधि अनुरूप नहीं है क्योंकि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अधिसूचना दिनांक 16.04.2002 में प्रदत्त लाभ का उपभोग किया गया है उक्त अधिसूचना के क्लॉज (5) में स्पष्ट तौर पर आदेशित है कि इस अधिसूचना के तहत लाभ प्राप्तकर्ता अधिसूचना संख्या F.4(72)FD Gr./IV/81-18 dated 6.5.1986 का लाभ नहीं ले सकेंगे। उक्त अधिसूचना धारा 15 आरएसटी एक्ट 1994 एवं धारा 8(5) सीएसटी एक्ट, 1956 के तहत जारी की गई है। इसी प्रकार अधिसूचना दिनांक 6.5.1986 के क्लॉज 4 के नोट (1) के अनुसार स्पष्ट है कि वे इकाईयां जो अधिसूचना दिनांक 16.4.2002 का लाभ लेने वाली इकाईयों को अधिसूचना दिनांक 6.05.1986 का लाभ देय नहीं होगा।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि दोनों ही अधिसूचनाओं में किसी 7. प्रकार का विरोधाभास नहीं है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अधिसूचना दिनांक 16.04.2002 का लाभ प्राप्त कर लिया गया है अतः उसको अधिसूचना दिनांक 06.05.1986 का लाभ अस्वीकृत करने में न तो कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कोई गलती की गई है एवं न ही अपीलीय अधिकारी द्वारा इसकी पुष्टि करने में गलती की गई है। विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत माननीय उच्चतर न्यायालयों के उद्धरणों के तथ्य ससम्मान यहां पर लागू नहीं हो पाते है। धारा 58 के तहत आरोपित ब्याज विलम्ब से जमा कराये गये कर पर आरोपित किया गया है जो कर देयता एवं कम कर जमा होने से व्यूत्पित है अतः इस संबंध में भी अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाती है। परन्तु यहां यह प्रासांगिक है कि जब अधिसूचना दिनांक 5.6.1986 का लाभ केन्द्रीय बिकी कर अधिनियम के तहत पारित कर निर्धारण आदेश में विचारित कर दिया गया तब राजस्थान बिकी कर अधिनियम के तहत पारित कर निर्धारण आदेश में उसी बिकी राशि पर करारोपण का औचित्य किस प्रकार से है। यह तथ्यात्मक भूल प्रतीत होती है जिसे गलती से होने पर कर निर्धारण अधिकारी अपने स्तर पर सुधार सकते है। परन्तु फिलहाल उक्त मामला विचाराधीन होने से उपरोक्त विवेचनानूसार निस्तारित किया जाता है।

8. उपरोक्त विश्लेषण के कम में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय प्रसारित किया गया।

26.02.2014 (मदन लाल) सदस्य

.